संख्या-02/2024/I/469901/2024/003-71-4099-692-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2024**

विषयः-उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत जी0एस0टी0 12 प्रतिशत एवं वर्तमान जी0एस0टी0 18 प्रतिशत के अन्तर धनराशि एवं दिनांक- 30.06.2017 तक किये जा चुके कार्यो के उपरान्त सिविल कार्यो की बकाया धनराशि पर जी0एस0टी0 लागू होने व पूर्व में सम्मिलित टैक्स के अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3842/ई/यूपीयूएमएस/65/एफएन्डए(2018-19)/2023-24 दिनांक-07.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक के कार्यो हेतु पूर्व में स्वीकृत जी0एस0टी0 12 प्रतिशत एवं वर्तमान जी0एस0टी0 18 प्रतिशत के अन्तर धनराशि रू० 1001.38 लाख एवं दिनांक- 30.06.2017 तक किये जा चुके कार्यो के उपरान्त सिविल कार्यो की बकाया धनराशि पर जी0एस0टी0 लागू होने व पूर्व में सम्मिलित टैक्स के अन्तर की धनराशि रू० 269.23 लाख अर्थात कुल धनराशि रू० 1270.61 लाख भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-031 के अधीन पूंजी लेखाशीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रुपये 2500.00 लाख (रुपये पचीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष **रुपये 1040.00 लाख (रुपये दस करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/ दस- 2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 दिनांक-17.03.2023 (यथा संशोधित) में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-41/2023/बी-2/761/दस-2023-10/77 टी०सी० दिनांक 12 दिसम्बर , 2023 के अनुसार यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत परियोजना की लागत में परिवर्तन जी 0 एस 0 टी 0 की दरों में परिवर्तन के कारण हो रहा है ।
4. शासनादेश संख्या-34/2023/आई /348677/2023, दिनांक- 13.07.2023 एवं शासनादेश संख्या-33/2023/आई /348694/2023, दिनांक- 13.07.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,40,00,000 (रुपये दस करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थावनीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, उ०प्र० आुयर्विज्ञान विश्वनविद्यालय, सैफई, इटावा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।